यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ बागेश्वर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ बागेश्वर के माह 08/2012 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री शरत श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक15-03-2019 से 19-03-2019तक श्री शशिकांत पाण्डेय वारिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा प्रथक से पूर्व मे नहीं की गयी थी। 07/2012 तक कि लेखापरीक्षा पूर्व मे मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान इस इकाई की भी लेखापरीक्षा श्री अजय श्रीवास्तव एवं श्री के0 एस0 चौहान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 31.08.2012 से 12.09.2012 तक श्री राकेश कुमार लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था। जिसमे माह 04/2011 से 07/2012 तक की अवधि की लेखापरीक्षा की गयी थी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** इकाई द्वारा मुख्यतः गरुड ब्लाक के अंदर अति0प्रा0 स्वा0 केंद्र कौसानी कंधार एवं जेखड़ा मे चिकित्सा सेवा प्रदान किया जाना ।

3. इकाई के अंतर्गत गरुड ब्लाक, आता है। जिसमे केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा प्रबंध समिति के अंतर्गत का कार्य किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		समर्पण राशि	बचत (-) ₹
	स्थापना ₹	गैर स्थापना ₹	आवंटन ₹	व्यय ₹	आवंटन ₹	व्यय ₹		
2015-16	00	23.48	644.82	549.20	70.34	76.83	95.62	16.99
2016-17	00	16.99	665.51	585.89	100.14	105.09	79.62	12.04
2017-18	00	12.04	687.13	670.29	122.60	121.43	16.84	13.21

2018-19 (UPTO 02/2019)	00	13.21	744.00	668.14	112.77	116.90	----	84.94

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रा0 अवशेष	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य(+) ₹	बचत(-) ₹
2015-16	NHM	23.48	70.34	76.83	16.99
2016-17	NHM	16.99	100.14	105.09	12.04
2017-18	NHM	12.04	122.60	121.43	13.21
2018-19 (UPTO 01/2019)	NHM	13.21	112.77	116.90	9.08

(iii) गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई को केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं कोषागार मद से धनराशि प्राप्त होती है। इकाई श्रेणी स के अंतर्गत आती है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, महानिदेशक, निदेशक, अपर निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

4. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में गरुड ब्लाक मे राष्ट्रीय स्वास्थय मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम, एवं चिकित्सा प्रबंध समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो से संबंधी लेनदेन की लेखापरीक्षा संपादित की गयी। इकाई के अंतर्गत अति0 प्रा0 स्वा0 केंद्र कौसानी, कंधार एवं जखेड़ा मे चिकित्सा संबंधी सेवाओ के लेखो कि लेखापरीक्षा की गयी। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ बागेश्वर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2018, 10/2017 एवं 01/2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया तथा विस्तृत विश्लेषण किया गया।

औषधि क्रय , राष्ट्रीय स्वास्थय मिशन के अंतर्गत आच्छादित योजनाये,

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- चिकित्सालय जनित बायोमेडिकल वेस्ट का अनुचित निस्तारण।

Bio medical waste means any waste, which is generated during the diagnosis, treatment or immunization of human beings or animals or research activities pertaining thereto or in the production or testing of biological or in health camps. Bio-medical waste includes all the waste generated from the Health Care Facility which can have any adverse effect to the health of a person or to the environment in general if not disposed properly. All such waste which can adversely harm the environment or health of a person is considered as infectious and such waste has to be managed as per Bio Medical Waste Management Rules, 2016.

इकाई द्वारा प्रस्तुत अभिलेखो की जांच मे पाया गया की बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु न ही कोई बजट मे प्रावधान किया गया है न ही चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठकों मे इस संबंध मे कोई उचित एवं प्रभावी उपाय हेतु निर्णय लिए गए। यद्यपि बायोमेडिकल वेस्ट का segregation चार भाग (लाल, पीला, नीला, सफ़ेद) मे किया जाता है परंतु उनका एकत्रीकरण अलग अलग कंटेनर या कमरों मे न करके एक ही जगह किया जा रहा था।उल्लेखनीय है की उक्त कमरों पर छत नहीं पड़ी थी। प्रसव से उत्पन्न प्लेसेन्टा को पिट मे डाला जा रहा था, परंतु पर्यावरणीय रूप से उचित एवं इंगित विधियों द्वारा उसका निस्तारण नहीं किया जा रहा था। उक्त बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु कोई ट्रीटमंट फैसिलिटी भी नहीं पाई गई। जिसके कारण मानवीय स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं भूजल के दूषित होने का खतरा बना रहता है। उक्त तथ्य संलग्न फोटोग्राफ्स से स्पष्ट है। बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण से संबन्धित व्यय रु 125400.00 मे मुख्यतः बैग, और स्टोरेज हेतु दो खुले कमरों का निर्माण हुआ। यह भी उल्लेखनीय है की इकाई द्वारा उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मे पंजीकरण कराने संबंधी कोई साक्ष्य भी नहीं प्रस्तुत किया गया।

इकाई ने उत्तर मे बताया की BMW का segregation के उपरांत अलग अलग पार्ट मे एकत्रित किया जाता है तथा उक्त BMW के निस्तारण के लिए जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित जगह पर ले जाया जाता है। पुनः सीएचसी बैजनाथ का उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मे पंजीकरण कराया गया है, प्रति अभी नहीं मिल पा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जैसा की फोटोग्राफ्स से स्पष्ट है की विभिन्न बैग्स मे segregation करने के उपरांत उन सभी बैग्स को एक ही जगह मे रखा गया था।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत रु 9.40 लाख कि आर्थिक सहायता प्रसव माताओ को न दिया जाना एवं रु. 1.91 की वापस प्राप्त धनराशि का भुगतान न किया जाना।

आरसीएच फ्लेक्सिपूल के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य नवजात मृत्यु दर को कम करना और बीपीएल परिवार मे संस्थागत प्रसव को बढ़ाना था। योजना के तहत ग्रामीण महिला को रु 1400/- एवं शहरी महिला को रु 1000/- की नगद सहायता प्रसव के तुरंत बाद मिलनी थी जिससे की गरीब महिला को प्रसव के बाद तुरंत आर्थिक सहायता मिल सके। और जच्चा-बच्चा दोनों का पोषण अच्छे ढंग से हो सके।

इकाई द्वारा प्रस्तुत सूचना के तहत यह प्रकाश मे आया कि निम्नलिखित वर्षो मे अधिकांश गरीब महिला को प्रसव के बाद तुरंत आर्थिक सहायता नहीं उपलब्ध करायी गयी। जिससे प्रसव माताओ को वित्तीय लाभ का फायदा नहीं मिल सका ।

वर्ष	उपलब्धि	प्रसव माताओ कि संख्या जिनको भुगतान किया गया	माताओ कि संख्या जिनको लाभ नहीं मिल सका	कुल राशि जिसका भुगतान नहीं किया गया
2014-15	624	280	344@1400	4,81,600/-
2016-17	725	517	208@1400	2,91,200/-
2017-18	618	561	57@1400	79,800/-
2018-19	533	470	63@1400	88,200/-
		कुल	**672@1400**	**9,40,800/-**

इकाई से इस संबंध मे पूछे जाने पर बताया गया कि खाता ना होने या अपूर्ण फार्म भरे होने के कारण सभी लाभार्थियों को भुगतान नहीं किया जा सके ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसव माताओ को आर्थिक सहायता देना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अतः फार्म पूर्ण करवाने तथा खाता पूर्ण करने के लिये परामर्श देने कि जिम्मेदारी संबन्धित पटल की है तथा अपूर्ण फार्म संबन्धित पटल के कार्मिक को लेनी नहीं चाहिये।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य नवजात मृत्यु दर को कम करना और बीपीएल परिवार मे संस्थागत प्रसव को बढ़ाना था। योजना के तहत ग्रामीण महिला को रु 1400/- एवं शहरी महिला को रु 1000/- की नगद सहायता प्रसव के तुरंत बाद मिलनी थी जिससे की गरीब महिला को प्रसव के बाद तुरंत आर्थिक सहायता मिल सके। और जच्चा बच्चा दोनों का पोषण अच्छे ढंग से हो सके। साथ ही आशा कार्यकर्ता को भी शहरी क्षेत्र हेतु रु 400/- एवं ग्रामीण क्षेत्र मे रु 600/- की प्रोत्साहन राशि मिलनी थी, जो 50-50 प्रतिशत के रूप मे जांच के समय एवं प्रसव के पश्चात आशा कार्यकर्ता को दी जानी थी।

रोकड़ बही के जांच मे पाया कि निम्नलिखित चेक एवं पीएफ़एमएस के अंतर्गत वापस प्राप्त हो गया था। जिसको पुनः भुगतान हेतु इकाई द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया।

1. दिनांक 30/09/2014 को चेक सं0 894315 के अंतर्गत रु 1400/- दिनांक 26/12/2015 को डीबीटी दिनांक रु 1400/- एवं रु 1400/- दिनांक 26/10/2015 को डीबीटी दिनांक रु 1400/ एवं दिनांक 07/01/2016 को रु 1400/- दिनांक 28/03/2016 को एडवाइस सं0 021601958652 मे रु 26400/- दिनांक 31/03/2016 को चेक सं0 701078 रु 1400/- एवं रु 1400/- माह 07/2016 को चेक सं0 060490 रु 1400/- दिनांक 29/03/2016 को पीएफ़एमएस के अंतर्गत रु 32400/- दिनांक 27/01/2016 को रु 14000/- दिनांक 06/02/2016 को रु 27600/- दिनांक 23/03/2017 को रु 1400/- एवं रु 2800/- दिनांक रु 27/03/2017

को रु 2400/- दिनांक 29/03/2017 को रु 4200/- दिनांक 31/03/2017 को रु 1400/-, रु 16800/- एवं रु 22400/- दिनांक 03/04/2017 को रु 4200/- दिनांक 21/06/2017 को रु 2800/- दिनांक 02/08/2017 रु 1400/- दिनांक 17/08/2017 को रु 1400/- दिनांक 30/11/2017 रु 1400/- दिनांक 03/02/2018 को रु 1400/- दिनांक 19/02/2018 रु 1400/- दिनांक 06/03/2018 को रु 1400/- दिनांक 09/03/2018 को रु 300/- दिनांक 13/03/2018 को रु 1400/- दिनांक 13/03/2018 को रु 600/-, रु 1800/- एवं रु 600/- दिनांक 30/07/2018 को रु 4200/- दिनाक 25/09/2018 को रु 1400/- दिनांक 15/11/2018 को रु 1400/- एवं दिनांक 28/02/2019 को रु 1400/- का भुगतान इकाई को वापस प्राप्त हुआ।

इकाई से इस संबंध मे पूछे जाने पर बताया गया कि लाभार्थियो कि जागरूकता मे कमी होने के कारण उनके द्वारा अधूरी जानकारी दी जाती है। इस संबंध मे संबन्धित पटल पर कार्यरत कर्मचारियों को पूर्व मे निर्देश दिये जा चुके है कि लाभार्थियों को इस संबंध मे जागरूक करे। तथा फार्म मे भरी गयी जानकारी को संलंग छायाप्रतियो के साथ मिलान करे। भविष्य मे इस संबंध मे संबन्धित कर्मचारियो को और कड़े निर्देश दिये जा रहे है।

अतः जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत रु 9.40 लाख कि आर्थिक सहायता प्रसव माताओ को न दिये जाने एवं रु 1.91 लाख की वापस प्राप्त धनराशि का भुगतान न किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3- अंशदायी पेंशन योजना मे रु 47.69 लाख की राशि शासन द्वारा जमा न किये जाने , 07 से 29 माह विलंब से कटौती के कारण रु 6.50 लाख कि राशि कार्मिको के खाते मे जमा न होना तथा रु 14.35 लाख कि राशि पूर्व आबंटित खाते से प्रान सं0 मे स्थानान्तरित न किया जाना

अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत प्रान सं0 उपलब्ध होने के पश्चात कार्मिको के वेतन से ग्रेड वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर कि राशि काटकर कोषागार मे जमा की जाती है तथा राज्य सरकार द्वारा भी उतनी ही राशि के बराबर की राशि कार्मिक के खाते मे जमा की जाती है।

अंशदायी पेंशन योजना संबंधी अभिलेखो कि जांच मे पाया गया कि42 कार्मिको से 47.69 लाख का अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत मार्च 2017 से जनवरी 2019 तक कटौती की गयी थी। जिसके बराबर कि राशि शासन को भी अंशदायी के खाते मे जमा की जानी चाहिये थी। जो वर्तमान तक नहीं की गयी। यह भी पाया गया कि 22 कार्मिको के विरुद्ध अंशदान कि कटौती नियुक्ति कि तिथि से 07 से 29 माह के विलंब से काटी गयी थी। जिसके कारण कुलरु 6.50 लाख कि राशि उक्त कार्मिको के खाते मे जमा नहीं हो सकी।

साथ ही यह भी पाया गया कि 20 कार्मिको के वेतन से प्रान सं0 आबंटित होने के पूर्व कोषागार द्वारा बीसीजी एवं एनटीएल के रूप मे खाता सं0 उपलब्ध कराया गया था । जिसके अंतर्गत प्रान सं0 उपलब्ध होने के पूर्व कार्मिको के वेतन से काटी गयी, 10 प्रतिशत की राशि रु 14.35 लाख कोषागार द्वारा उपलब्ध कराये गये खाता सं0 मे जमा की गयी थी। संलग्नक-अ प्रान सं0 उपलब्ध होने के बाद कोषागार द्वारा उपलब्ध कराये गये खाता सं0 से प्रान सं0 मे स्थानतरित हुई या नहीं इसका विवरण इकाई को उपलब्ध नहीं था।

इकाई से इस संबंध मे पूछे जाने पर बताया गया कि प्रान सं0 उपलब्ध न होने के कारण कोषागार के निर्देश पर बीसीजी एवं एनटीएल खाता खोला गया। जिसमे धनराशि जमा की गयी थी। यह राशि कोषागार मे बिना किसी कार्यवाही के कोषागार मे जमा है। शीघ्र ही कोषागार से संपर्क कर यथोचित कार्यवाही किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

अतः अंशदायी पेंशन योजना मे रु 47.69 लाख की राशि शासन द्वारा जमा न किये जाने , 07 से 29 माह विलंब से कटौती के कारण रु 6.50 लाख कि राशि कार्मिको के खाते मे जमा न होना तथा रु 14.35 लाख कि राशि पूर्व आबंटित खाते से प्रान सं0 मे स्थानान्तरित न किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

संलग्नक –अ

क्रम सं0	नाम	पदनाम	सीपीएसएन सं0	धनराशि
1	श्री अनिल मेहरा	उप फार्मासिष्ट	BCG/CPSN -3921	86770
2	श्री रंजीत सिंह	उप फार्मासिष्ट	BCG/CPSN-3958	86770
3	श्री राजेश कुमार जोशी	उप फार्मासिष्ट	BCG/CPSN– 3954	86770
4	श्री कमलेश कुमार	उप फार्मासिष्ट	BCG/CPSN– 3950	86770
5	श्री केवला नन्द	उप फार्मासिष्ट	BCG/CPSN– 3952	86770
6	श्री रतन नाथ	उप फार्मासिष्ट	BCG/CPSN– 3959	86770
7	श्री आशुतोष वर्मा	उप फार्मासिष्ट	BCG/CPSN– 3969	86770
8	श्रीमती कमला	उप फार्मासिष्ट	BCG/CPSN– 3915	86770
9	श्रीमती अनीता रावल	उप फार्मासिष्ट	BCG/CPSN– 3920	86770
10	श्री पूरन राम	उप फार्मासिष्ट	BCG/CPSN - 3962	86770
11	श्री राज कुमार वाल्मीकि	उप फार्मासिष्ट	BCG/CPSN– 3701	86770
12	श्रीमती जया तिवारी	ए0 एन0 एम0	BCG/CPSN– 3936	54916
13	श्रीमती बालेश्वर भण्डारी	ए0 एन0 एम0	BCG/CPSN– 3938	54916
14	श्रीमती जानकी देवी	ए0 एन0 एम0	BCG/CPSN– 3944	54916
15	श्रीमती हेमा राणा	ए0 एन0 एम0	BCG/CPSN– 3933	56928
16	श्री प्रवीण कुमार पाण्डेय	वरि0 सहायक	NTL/CPSN – 9494	53217
17	श्री भुवन सिंह बिष्ट	कनि0 सहायक	BCG/CPSN– 3972	50114
18	श्री अजय प्रकाश	कक्ष सेवक	BCG/CPSN– 3960	50114
19	श्री नन्दन सिंह	वाहन चालक	BCG/CPSN– 3957	54968
20	श्री राकेश कन्नौजिया	धोबी	BCG/CPSN– 3970	51336

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या प्रथम लेखापरीक्षा	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ बागेश्वर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

2. **वर्ष 2014-15 का स्टेटमेंट ऑफ फ़ैक्ट उपलब्ध नहीं कराया गया।**

3. **आईपीडी और ओपीडी कि पंजिका नहीं बनायी गयी है।**

4. **सतत् अनियमितताएःशून्य**

5. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**अवधि**
1.	डा0 जे0सी0 मण्डल	01.04.2012 से 03.04.2013 तक
2.	डा0 के0 के0 सिंह	08.08.2013 से 19.11.2014 तक
3.	डा0 हरीश कुमार पोखरिया	20.11.2014 से 29.07.2016 तक
4.	डा0 गुमान सिंह राणा	30.07.2016 से 13.12.2016 तक
5.	डा0 राजेश सिंह गुंजियाल	14.12.2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.